राजस्व वाद संख्याः–02/2023
अनिल चौधरी बनाम जगदीश वगै०
निर्णय दिनांकः– 17/06/2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः–

श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)

मु0नं0 .02/2023

01. अनिल चौधरी पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०

– वादी

बनाम

01. जगदीश पुत्र श्री बख्ताराम जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०
02. नरेश पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी महपालवास तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०
03. सुनिता पत्नी सुखवीर पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी बाढडा तहसील बाढडा जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा
04. सुनिल पत्नी विकास पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी धिंधवा आगुणा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०
05. कमलेश पत्नी विरेन्द्र पुत्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी धिंघवा आगुणा तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०
06. राजस्थान राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सूरजगढ जिला झुंझुनू राज०

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– वादीगण एवं प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी ने घोषणार्थ, हेतु वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह कि ग्राम महपालवास तहसील सूरजगढ में कृषि भूमि खाता संख्या 81 खसरा नं. 279 रकबा 1.92 हैक्टर, खसरा नं. 280 रकवा 0.32 हेक्टर, 283 रकबा 1.17 हेक्टर, खसरा नं. 284 रकबा 0.08 हैक्टर खसरा नं 285 रकबा 1.56 हेक्टर, खसरा नं. 306 रकबा 0.61 हेक्टर, खसरा नं. 309 रकबा 0.67 हेक्टर, खसरा नं. 325 रकबा 0.47 हेक्टर, खसरा नं. 533/305 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 535/ 303 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 6.93 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/32 है तथा ग्राम महपालवास तहसील सूरजगढ़ में खाता संख्या 39 खसरा नं. 543/60 रकबा 2.98 हैक्टर, खसरा नं 565/168 रकबा 0.33 हेक्टर कुल किला 02 कुल रकबा 3.31 हेक्टर कृषि भूमि स्थित है जो सम्पूर्ण प्रतिवादी नं 01 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण नं 01 लगायत 05 वादग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी नं. 01 के हिस्सा भूमि पर शान्ति पूर्वक काश्त करते रहे हैं तथा प्रतिवादी नं. 1 वादी का पिता है तथा उपर वर्णित वादग्रस्त भूमि पैत्रक भूमियां है तथा प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में दर्ज

हिस्सा में वादी को 1/6 हिस्सा जरिए विधिक उत्तराधिकारी प्राप्त है तथा उस हिस्से पर वादी शुरू से ही शान्ति पूर्वक काबिज मालिक है तथा काश्त करता चला आ रहा है।

यह कि प्रतिवादी नं. 1 शराबी व आवारा किस्म का व्यक्ति है तथा आए रोज भूमाफिया किस्म के लोगों के साथ रहता है तथा प्रतिवादी नं. 2 लगायत 5 के प्रभाव में आया हुआ है व वादी को नुकसान पहुंचाने की नियत से वादग्रस्त भूमियों पर आए रोज भूमाफिया किस्म के लोगों को वादी के कब्जे, काश्त

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

राजस्व वाद संख्याः—02/2023
अनिल चौधरी बनाम जगदीश वगै0
निर्णय दिनांकः— 17/06/2025......

व हिस्से की भूमियों पर लाता रहता है तथा बाला— बाला वादी के कब्जे व हिस्से की भूमियों को विकय करने की धमकी देता रहता था तथा जबरन ताकत के बल पर चादी का कब्जा हटवाने का कुत्सित प्रयास करता रहता है।

यह कि वाद पत्र की धारा नं.1 में वर्णित वादग्रस्त भूमियों में वादी को जरिये विधिक उत्तराधिकारी प्राप्त हुए हिस्सा पर वादी शुरू से ही कब्जा काश्त करता चला आ रहा है तथा फसले काश्त कर रखी है। परन्तु प्रतिवादी नं. 1 आए रोज वादग्रस्त भूमियों में वादी के कब्जे व हिस्से की भूमियों पर आए रोज भूमाफिया किस्म के लोगों को लेकर आता रहता था। वाद वर्णित भूमियों में वादी खुद को जरिये विधिक उत्तराधिकारी प्राप्त हिस्से को शुरू से ही शान्ति पूर्वक काश्त करता चला आ रहा है तथा काबिज मालिक है। माह दिसम्बर 2022 के दूसरे सप्ताह में वादी जब वादग्रस्त भूमियों में अपने हिस्से पर स्वयं द्वारा काश्त की हुई फसल की निराई व गुड़ाई का कार्य कर रहा था तो प्रतिवादी नं. 1 व 2 वादग्रस्त भूमियों में वादी के कब्जे व हिस्सों पर आए तथा वादी को कहा कि उक्त भूमियां प्रतिवादी नं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा इन्हें जबरन विकय कर जबरन ताकत के बल पर वादी द्वारा काश्त की गई फसल को नष्ट करके वादग्रस्त भूमियों में वादी के कब्जे व हिस्से की भूमियों पर जबरन कब्जा करवायेंगे। वादी ने उनको काफी समझाना चाहा परन्तु प्रतिवादी नं. 1 व 2 ने वादी की एक बात नहीं सुनी तथा वादी के हिस्से व कब्जे की भूमियों पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने की धमकी दी जिस कारण वादी वादग्रस्त भूमियों में अपने हकुकों की रक्षार्थ यह वाद पत्र पेश कर रहा है।

अनुतोष—

वाद वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 81 खसरा नं. 279 रकबा 1.92 हैक्टर, खसरा नं. 280 रकबा 0.32 हैक्टर, 283 रकबा 1.17 हैक्टर, खसरा नं. 284 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 285 रकबा 1.56 हैक्टर, खसरा नं. 306 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा नं. 309 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नं. 325 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 533/305 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नं. 535/303 रकबा 010 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 6.93 हैक्टर भूमि स्थित है जिसमें प्रतिवादी नं. 1 का हिस्सा 1/32 है तथा ग्राम महपालवास तहसील सूरजगढ में खाता संख्या 39 खसरा नं. 543/60 रकबा 2.98 हैक्टर, खसरा नं. 565/168 रकबा 0.33 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 3.31 हैक्टर ग्राम महपालवास में वादी को जरिये विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं. 1 से प्राप्त हिस्सा 1/68 वादी की खातेदारी की घोषित की जावे ।

बहस सुनी गयी।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण की तरफ से इकबालिया जवाब एवं वादी एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता 01 लगायत 05 द्वारा उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। पक्षकारान अधिवक्ताओं ने वाद को मुताबिक राजीनामा अनुसार अंतिम डिकी किये जाने का निवेदन किया। निवेदन उपरांत उक्त राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन बाद मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अंतिम डिकी किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 5 के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार खातेदार/काश्तकार घोषित करने की घोषणा की जाती हैं । राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने को आदेशित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। पर्चा डिकी मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। निर्णय आज दिनांक 17/06/2025........ को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—02 / 2023
अनिल चौधरी बनाम जगदीश वगै0
निर्णय दिनांकः— 17/06/2025.....

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेष 20 के नियम 6 और 7)
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः— **श्रीमती सुमन देवी II (आर.ए.एस.)**

मु0नं0 02 / 2023

अनिल चौधरी बनाम जगदीश वगै0
दावा बाबत घोषणार्थ एवम् स्थायी निषेधाज्ञा

वादी अधिवक्ता द्वारा इस वाद मे आज की तारीख 17/06/2025........ को श्रीमती सुमन देवी II उपखंड अधिकारी सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि—

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 5 के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार खातेदार / काश्तकार घोषित करने की घोषणा की जाती हैं । राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। उक्तानुसार तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने को आदेशित किया जाता है। रहन यदि कोई हो तो संबधित खातेदार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के पक्ष में दर्ज किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2025...... को खुले इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़